

उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सेक्रेटरी,
तेन्दूल बोर्ड आफ़ सेक्रेण्डरी एजुकेशन,
नई दिल्ली ।

शिक्षा ३७३ अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : ५/२९८४ई. १९७३


विषय :- तुलसी विद्या निवेदन , नगवा, वाराणसी , को अनापत्ति
प्रमाण -पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।


महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह खबर का निर्देश हुआ है कि तुलसी विद्या निवेदन
नगवा, वाराणसी को तेन्दूल बोर्ड आफ़ सेक्रेण्डरी एजुकेशन, नई-दिल्ली से सम्बन्धित
प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति
नहीं है :-

- १। विद्यालय की पंजीकृत सतह/इटी का समय-समय पर नवीनीकरण
कराया जायेगा ।
- २। विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक
सदस्य होगा ।
- ३। विद्यालय में क्या से क्या (१) प्रतिभालय स्थापन अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर
प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तय किये विद्यालयों में विभिन्न
वर्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- ४। संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी
और यदि पूर्व में विद्यालय की सम्बन्धिता तेन्दूल बोर्ड आफ़ सेक्रेण्डरी
एजुकेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से
सम्बन्धिता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य
सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- ५। संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राज्य सरकार से अनुदान
प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों या अनुदान प्राप्त विद्यालयों से नहीं
कराया जायेगा ।

PRINCIPAL
TULSI VIDYA NIKETAN


Secretary
Sri Goswami Tulsi Das
Educational Society
VARANASI


PRINCIPAL
TULSI VIDYA NIKETAN
NAGWA VARANASI

अभ्यासगत उद्यमन संस्था का
अभ्यासगत उद्यमन संस्था का

- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जी.पी.ओ. के माध्यम से जांचें, संस्था उसका पालन करेगी।
 - 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पृष्ठ/पोजिकाओं में रखा जायेगा।
 - 191 उक्त भर्ती में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई पारदर्शिता/संतोषन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।
- 2- उक्त प्रमाणों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रमाणों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की कोड़े पुनः जांच/जायजा कराई जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावनापित प्रमाणों का पालन ले लिया जायेगा।

भवदीय

शुभमोदी
प्रधान

15-1-1992

- 1. शिक्षा निदेशक, उ.प्र. के सचिव के कार्यालय, 10, वा.पी. रोड, लखनऊ।
- 2. शिक्षा निदेशक, उ.प्र. के सचिव के कार्यालय, 10, वा.पी. रोड, लखनऊ।
- 3. शिक्षा निदेशक, उ.प्र. के सचिव के कार्यालय, 10, वा.पी. रोड, लखनऊ।
- 4. शिक्षा निदेशक, उ.प्र. के सचिव के कार्यालय, 10, वा.पी. रोड, लखनऊ।
- 5. शिक्षा निदेशक, उ.प्र. के सचिव के कार्यालय, 10, वा.पी. रोड, लखनऊ।

शुभमोदी
उप प्रधान

PRINCIPAL
LIONS SCHOOL, MIRZAPUR
(Affiliated with C.B.S.E.)

PRINCIPAL
TULSI VIDYA NIKETAN

Secretary
Sri Goswami Tuisi Das
Educational Society
VARANASI

PRINCIPAL
TULSI VIDYA NIKETAN
MAGWA VARANASI